

अध्याय — 2

स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एक अति आवश्यक सेवाएं एवं आवश्यकताएं हैं जिसे सन्तोषजनक रूप से प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बनी रहे तथा पर्यावरण भी भलीभांति सुरक्षित रहे। अतः आवश्यक है कि सभी मार्गों, सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों की न्यूनतम स्तर तक नियमित सफाई का प्रावधान हो तथा शहर में उत्पन्न हुए कचरे का उचित निस्तारण पर्यावरणीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए किया जाय। भारत सरकार द्वारा विर्निमित नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियमावली, 2000 की अनुसूची 01 से 04 में विर्निदिष्ट अनुपालनीय मानकों/प्रक्रिया के अनुरूप नगर पालिका प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे। अवधि 2001–02 से 2005–06 हेतु योजना की समीक्षा से विदित हुआ कि नियन्त्रण प्रणाली की अपर्याप्तता, खराब अनुश्रवण एवं इसके कार्यान्वयन में शिथिलता के कारण कार्यक्रम बाधित हुआ। संज्ञान में आए महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् थे:—

मुख्य अंश:—

सफाई कर्मियों पर अनुपयुक्त नियन्त्रण के कारण मार्गों/सड़कों की सफाई नियमित रूप से नहीं हुई थी, सामान्य रिहायशी क्षेत्रों की सफाई अपर्याप्त थी।

प्रस्तर 2.6.2.1 (ii), (iii) एवं (IV)

सफाई कर्मिकों को अनुबन्ध पर नियोजित करने में रु 16.73 करोड़ का अनियमित व्यय वहन किया गया था।

प्रस्तर 2.6.2.2

नमूना जॉच किए गए कोई भी नगर निगम द्वारा संग्रहण, पृथक्करण, एवं कथन हेतु पर्याप्त प्रणाली को विकसित नहीं किया गया था।

प्रस्तर 2.6.3.1 एवं 2.6.3.1

लखनऊ एवं गाजियाबाद नगर निगमों में उदीभूत नगर पालिका ठोस अपशिष्ट की पूर्ण मात्रा का परिवहन नहीं किया जबकि परिवहन हेतु पर्याप्त क्षमता थी।

प्रस्तर 2.6.3.3 (i), (ii) एवं (iii)

नगर निगम गाजियाबाद की परिवहन क्षमता का अनुकूल उपयोग नहीं हुआ तथा डीजल पर व्यय सन्देहपूर्ण रहा।

प्रस्तर 2.6.3.3 (iv)

अनुबन्ध के अनुसार नगर निगम लखनऊ द्वारा आपूर्ति सुनिश्चित ठोस अपशिष्ट के अभाव में प्रसंस्करण संयंत्र बन्द किए गए थे।

प्रस्तर 2.6.3.5

नमूना जॉच किए गए किसी भी नगर निगम में भूमि भरण स्थल को चिन्हित नहीं किया गया था। नगर निगम गाजियाबाद द्वारा भूमि भरण स्थल हेतु प्राप्त किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र अनियमित थे क्योंकि चिन्हित भूखण्डों की उपलब्धता एवं कब्जा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ सत्य पर आधारित नहीं थी।

प्रस्तर 2.6.3.7

करकस संयंत्र के अन्तिम क्य/प्राप्त करने में अनियमित विलम्ब के कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रु 15. 16 लाख का अतिरिक्त भुगतान वहन करना पड़ा।

प्रस्तर 2.6.3.8

2.1 प्रस्तावना

शहरी स्थानीय निकायों का ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अनिवार्य कियाकलाप है। सभी शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबन्धन लागू करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन), नियमावली 2000 के प्रावधानों एवं जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली, 1998 तथा भारत सरकार द्वारा इसका संशोधन 2000 में अधिनियमित किया गया, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च 2001 में अंगीकृत किया। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के अनुशंसाओं को भी स्वीकार किया।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

समीक्षा के उद्देश्य थे:—

- नगर निगमों में स्वच्छता, सफाई कर्मियों के नियोजन एवं प्रबन्धन के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के मानकों को प्रभावी ढंग से लागू होने का मूल्यांकन करना।

- नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियमावली 2000 के नियमों एवं प्रक्रियाओं को लागू करने को सुनिश्चित करना।
- सहयोजन अपशिष्ट नियमावली 1998 के नियमों एवं प्रक्रियाओं को लागू करने को सुनिश्चित करना।

2.3 लेखापरीक्षा मानक

स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर समीक्षा हेतु प्रयुक्त मानक थे:—

- नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं अनुशीलन) नियमावली, 2000।
- जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं अनुशीलन) नियमावली, 1998।
- उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959।
- उत्तर प्रदेश सरकार का स्वारथ्य मैनुअल।
- राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश एवं दिशा-निर्देश।

2.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली एवं कार्यक्षेत्र

स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन समीक्षा अगस्त से अक्टूबर 2005 के दौरान सम्पन्न की गयी जो 2001–06 की अवधि में आच्छादित तथा मार्च 2007 में एकत्रित सूचनाओं द्वारा सम्पूरित थी, जिससे प्रदेश में 12 में से 03 नगर निगमों द्वारा स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर अपनाये गए तौर तरीकों के प्रभावीकरण को सुनिश्चित करना था। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की कार्यकुशलता को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से नगर निगम, लखनऊ, गोरखपुर गाजियाबाद के अभिलेखों से सूचनाएँ एवं सांख्यकीय विवरण, संग्रहीत किए गए थे। इसके अतिरिक्त प्रदेश के शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, स्थानीय निकायों के अभिलेखों का भी निरीक्षण किया गया।

2.5 निधि आवंटन प्रणाली

नगर निगम में निजी स्रोतों से अर्जित धन के अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग तथा र्यारहवाँ वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर प्राप्त किए गए अनुदानों से धन का आवंटन होता है। वर्ष 2005–06 के दौरान बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर प्राप्त 50 प्रतिशत अनुदानों को विशेष रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रावधानित किया गया।

2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

2.6.1 वित्तीय परिव्यय

नमूना लेखापरीक्षा जाँच की गयी 3 नगर निगमों का 2001–06 के दौरान बजट प्रावधान एवं उसके सापेक्ष वहन किया गया व्यय निम्नवत् रहा:—

(रु० करोड़ में)

नगर निगम का नाम	2001–02		2002–03		2003–04		2004–05		2005–06	
	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
लखनऊ	32.47	31.92	33.51	32.01	34.56	34.44	36.36	35.82	47.81	36.81
गाजियाबाद	15.50	13.20	16.45	12.99	17.59	15.60	19.91	16.13	21.33	17.46
गोरखपुर	उपलब्ध नहीं कराया गया				9.63	8.76	10.22	9.53	12.62	11.45

- नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियमावली को लागू करने हेतु परियोजनाओं को सूचीबद्ध ढंग से तैयार किए बिना धन का आवंटन किया गया यद्यपि कि धन का आवंटन एवं उसके सापेक्ष व्यय में अभिवृद्धि का रुझान रहा। वर्ष 2001–06 के दौरान स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु धन का लगभग 90 प्रतिशत उपयोग के बावजूद नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित किसी भी सुविधा को इच्छित स्तर तक उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस प्रकार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में वर्णित सुविधाओं के असन्तोषजनक स्तर का कारण परियोजनाओं को सूचीबद्ध ढंग से तैयार नहीं किया जाना रहा।
- वर्ष 2004–05 के दौरान स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु बजट प्रावधान से अनियमित रूप से विचलन किया गया तथा रु 42.66 लाख अन्य मदों पर व्यय किया गया जिससे बजट प्रावधान के उददेश्य प्राप्त नहीं हुए।

2.6.2 स्वच्छता

2.6.2.1 मार्गों/सड़कों की सफाई

शहरी स्थानीय निकायों को शासित करने वाले नियमों के अनुसार सार्वजनिक मार्गों/सड़कों व अन्य सार्वजनिक दैनिक स्वच्छता, स्थानों की सफाई तथा मार्ग सफाई से व दरवाजे से संग्रहीत अपशिष्ट का निस्तारण सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। स्वास्थ्य मैनुअल में यथावर्णित मार्गों की सफाई हेतु विहित मानकों के अनुरूप वर्ष 2004–05 के दौरान सफाई कर्मियों का आवश्यकता व नियोजन निम्नवत् थे:—

नगर निगम का नाम	जनसंख्या (2001 की जनगणन के अनुसार)	वार्डों की संख्या	सफाई कर्मियों की आवश्यकता (10000 जन संख्या पर 28 सफाई कर्मी)	नियोजित किए गए सफाई कर्मियों की संख्या				कमी (-) अधिक्य (+)
				नियमित	आकस्मिक	अनुबन्ध के आधार पर	योग	
लखनऊ	2185927	110	6121	2875	450	1468	4793	-1328
गोरखपुर	349787	29	629*	—	—	629	629	—
	272914	31	764	660	303	—	963	+199
गाजियाबाद	962938	60	2696	983	531	1281	2795	+ 99

नमूना लेखापरीक्षा किए गए नगर निगमों के उपर्युक्त विवरण व अभिलेखों से विदित हुआ कि:-

- स्वच्छता कार्य के अनुश्रवण हेतु कोई प्रभावी प्रणाली नहीं थी। सफाई कार्य सम्बन्धित नगर निगमों के सफाई निरीक्षकों द्वारा अनुश्रवण किए गए थे जिनकी गतिविधियाँ सफाई कार्य में केवल कर्मियों को इंगित करने तक सीमित थी। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के निवासियों से प्राप्त सफाई सम्बन्धी शिकायतों पर अमल करने हेतु नगर निगमों में न तो कोई व्यवस्था थी न ही रिस्थिति का अनुश्रवण करने के लिए कोई शिकायत पंजिका का रख रखाव किया गया था।
- नगर निगम लखनऊ में 6121 कर्मियों की आवश्यकता के विपरीत केवल 4793 सफाई कर्मियों को मार्गों/सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों की सफाई हेतु नियोजित किया गया था। सफाई कर्मियों की कमी के कारण केवल कतिपय मार्गों की दैनिक सफाई हुई जबकि उनमें से कतिपय मार्गों की विशेष अवसरों पर सफाई होती थी तथा कतिपय क्षेत्र विशेष अभियान चलाकर आच्छादित किये जाते थे। कुल नियोजित सफाई कर्मियों को घटाकर 4680 कर दिया गया (फरवरी 2007) जिससे सफाई कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ और अस्वस्थ पर्यावरणीय रिस्थिति पैदा हुई।
- गोरखपुर नगर निगम में वर्ष 2004–05 के दौरान 349787 की जनसंख्या वाले 60 वार्डों के 29 मार्गों/सड़कों की सफाई अनुबन्ध के आधार पर हुई थी। अवशेष 31 वार्डों (सन्निहित जनसंख्या 272914) 764 नियमित/आकस्मिक सफाई कर्मियों के विपरीत 963 नियोजित किये गये थे। इन वार्डों में अधिक सफाई कर्मियों के नियोजन के बावजूद 5 वार्डों के 85 मार्गों/सड़कों व 72 मार्गों/सड़कों को कमशः सप्ताह में दो बार व तीन बार सफाई की जाती थी। जबकि सफाई कर्मियों पर उचित नियन्त्रण न होने के कारण अन्य 11 वार्डों की अधिकांश

* ठेकेदारों द्वारा 29 वार्डों में सफाई कर्मियों को नियोजित किया गया।

सड़के साप्ताहिक साफ की जाती थी। इन मार्गों/सड़कों की सफाई न होने से अस्वस्थ पर्यावरणीय स्थिति उत्पन्न हुई।

4. नगर निगम गाजियाबाद के मामले में 25 महत्वपूर्ण रिहायशी क्षेत्रों में अपेक्षित संख्या से दोगुने सफाईकर्मी नियोजित किये गये थे। अवशेष 35 वार्डों में अवश्यकता से 78 प्रतिशत कम सफाई कर्मी नियोजित किये गये थे। महत्वपूर्ण रिहायशी क्षेत्रों में अधिक सफाई कर्मी नियोजित करने के कारण नगर निगम 35 वार्डों में प्रभावी स्वच्छता उपलब्ध नहीं करा सका था।

2.6.2.2 अनुबन्ध पर व्यक्तिगत सफाई कर्मियों के नियोजन से अनियमित व्यय

उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश⁷ अनुमन्य करता है कि जहाँ आवश्यकता हो कार्य अनुबन्ध के आधार पर दिए जाए किन्तु अनुबन्ध के आधार पर श्रमिकों के नियोजन को मना किया गया था। सरकार के आदेश के विपरीत, नगर निगम लखनऊ ने व्यक्तिगत सफाई कर्मियों के साथ 57 रुपये प्रतिदिन भुगतान पर सादे कागज में एक अनुबन्ध निष्पादित किया (2004–05) तथा उन्हें अपेक्षित क्षेत्रों/वार्डों में सफाई हेतु नियोजित किया। नगर निगम गाजियाबाद में भी अनुबन्ध के आधार पर 10–20 सफाई कर्मी के समूह के रूप में लगाया गया। लगाये गए सफाई कर्मियों में से एक को कॉन्ट्रैक्टर का नाम दिया गया। रु 81.40 प्रति सफाई कर्मी/प्रतिदिन मजदूरी नियत की गयी थी तथा सफाई कर्मियों के मजदूरी सम्बन्धित चेक नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पक्ष में आहरित किए गए थे और रु 0.40 आयकर व व्यापार कर के रूप में कटौती करके रु 81.00 प्रति सफाई कर्मी/प्रतिदिन भुगतान किया गया था।

इस प्रकार, अनुबन्ध के आधार पर सफाई कर्मियों को वर्ष 2001–05 के दौरान नियोजन से नगर निगम लखनऊ व गाजियाबाद में कमशः रु 5.50 करोड़ तथा रु 11.23 करोड़ अनियमित व्यय किये गये (परिशिष्ट-4)। व्यक्तिगत मजदूरों या मजदूरों के समूह का अनुबन्ध के आधार पर नियोजन सरकारी आदेशों का उल्लंघन था।

2.6.2.3 परिहार्य व्यय

नगर निगम गाजियाबाद में 1281 सफाई कर्मियों को अनुबन्ध के निष्पादन किए बिना उनकी मजदूरी रु 74.00 की दर एवं रु 74.00 का 10 प्रतिशत प्रति सफाई कर्मी प्रतिदिन ठेकेदार का लाभ नियत करते हुए नियोजित किया गया था। नगर निगम द्वारा व्यक्तिगत सफाई कर्मियों को ठेकेदार का लाभ जोड़ने के पश्चात उनकी मजदूरी रु 81.40 प्रतिदिन भुगतान किया गया। इस प्रकार वर्ष के दौरान रु 7.40

⁷ वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ.प्र. शासन शासनादेश संख्या-10/दस-स.वि.नि.-1-2001 दिनांक 09.01.2001

प्रति सफाई कर्मी प्रतिदिन ठेकेदार के लाभ के रूप में अतिरिक्त भुगतान रु 34.60 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

2.6.2.4 असमायोजित / अवसूलित अग्रिम

वर्ष 1995–2000 के दौरान नगर निगम, गोरखपुर तथा वर्ष 1998–2003 के दौरान नगर निगम गाजियाबाद में स्वच्छता व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित सामग्रियों के सम्भरण/आपूर्ति हेतु स्टाफ/निजी पक्षों को दिए गए अग्रिम में से कमशः रु 1.41 करोड़ तथा रु 0.54 करोड़ फरवरी 2007 तक असमायोजित/अवसूलित थे।

2.6.3 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (ठो०अ०प्र०)

2.6.3.1 नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का अनुचित संग्रहण एवं पृथक्करण

1. नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का घर–घर संग्रहण दैनिक आधार पर किया जाना चाहिए। नमूना जॉच में पाया गया कि नगर निगमों में खुले स्थानों में सड़क के किनारों एवं नालियों में फैले हुए ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु उन्हें अपशिष्ट के अन्तर्गत वस्तु के रूप में शोधित करने की कोई प्रणाली विकसित नहीं की गयी थी। नगर निगम लखनऊ द्वारा 110 में से 6 वार्डों में नगर पालिका अपशिष्ट का घर–घर से संग्रहण करना जून 2003 में आरम्भ किया गया किन्तु लखनऊ बिजनौर मार्ग पर स्थित औरंगाबाद जागीर गाँव में स्थापित शोधन संयंत्र के बन्द हो जाने के कारण दिसम्बर 2004 से सेवाएं रोक दी गयी। नगर निगम गोरखपुर भी 60 में से 6 वार्डों में घर–घर से संग्रहण आरम्भ किया (सितम्बर 2005)। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का घर–घर से संग्रहण यद्यपि वार्डवार करने के बजाय केवल 10 कालोनियों में किया जा रहा था (फरवरी 2007)। नगर निगम गाजियाबाद में इस सम्बन्ध में कोई प्रणाली विकसित नहीं की गयी थी।
2. प्रावधानों के अनुसार, नगर पालिका ठोस अपशिष्टों का पृथक्करण स्त्रोत पर ही बायोडिग्रेडेवल अपशिष्ट, पुनः चक्रण अपशिष्ट एवं खतरनाक अपशिष्ट में घरेलू तथा संग्रहण केन्द्रों के स्तर पर पृथक रंग के कूड़ेदानों का प्रयोग करते हुए किया जाना अपेक्षित था। नमूना जॉच में पाया गया कि किसी भी नगर निगमों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। सड़कों की सफाई के दौरान संग्रहीत मिले जुले अपशिष्टों को द्वितीय संग्रहण स्थलों पर एकत्र कर दिया

गया। घुमन्तू जानवरों एवं गन्दगी उठाने वालों से सभी स्थानों पर कूड़ा फैलने के कारण द्वितीय संग्रहण केन्द्रों के चारों ओर अस्वास्थकर स्थितियाँ थीं।

2.6.3.2 नगर पालिका ठोस अपशिष्टों का अप्राधिकृत कालोनियों में निस्तारण

नगर निगम, नगरों के सम्बद्ध क्षेत्रों में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियमावली के प्रावधानों को लागू करने हेतु उत्तरदायी थे। गाजियाबाद में 153 अप्राधिकृत कालोनियाँ थीं, जहाँ आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। इन कालोनियों में उत्पन्न नगर पालिका ठोस अपशिष्टों के निस्तारण हेतु कोई व्यवस्था नहीं बनायी गयी थी। सरकारी नीतियों के अनुसार इन कालोनियों को या तो खाली कराया जाता या कब्जेदारों से भू-खण्डों की कीमत एवं विकास शुल्क वसूल करके विनियमित किया जाता तथा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियमों का अनुपालन किया जाता। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार इन कालोनियों के निवासी अस्वास्थकर दशा में लगातार रह रहे थे जिसके कारण पर्यावर्णीय ह्वास व स्वास्थ्य खतरों का जोखिम था।

2.6.3.3 नगर पालिका ठोस अपशिष्टों का परिवहन

नगरपालिका ठोस अपशिष्टों का फैलाव रोकने के लिए अपशिष्टों की सफाई हेतु प्राथमिक भण्डारण सुविधाओं का प्रयोग प्रतिदिन होना चाहिए था। 03 नगर निगमों द्वारा प्रतिदिन उद्भूत एवं परिवहित किए गए अपशिष्टों की मात्रा नीचे दी गयी हैः—

नगर निगम का नाम	उद्भूत नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)	परिवहित नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)	नगर पालिका ठोस अपशिष्ट परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की क्षमता (मीट्रिक टन में)लगभग (परिशिष्ट-5)	न.प. ठोस अप. के वाहनों की क्षमता के सापेक्ष परिवहन की प्रतिशतता
लखनऊ	1500	1100	1986	73.33
गोरखपुर	300	300	566	100
गाजियाबाद	550	447.90	1132.50	81.44

स्त्रोत—नमूना जॉच की गयी नगर निगमों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार।

उपर्युक्त विवरण एवं नमूना जॉच किए गए नगर निगमों के अभिलेखों से पाया गया कि—

- I. नगर निगम लखनऊ एवं गाजियाबाद पर्याप्त परिवहन क्षमता के बावजूद वाहनों के फेरों का अधिकतम उपयोग करने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो सकी। इस प्रकार एकत्रित हुए अनिस्तारित पड़े अपशिष्ट पर्यावरणीय प्रदूषण के साथ मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए एक खतरा बने रहे।

- II. नगर निगम लखनऊ द्वारा 45 वाहन प्रयोग में लाये जो कि न तो बन्द थे और न ही ढके थे, परिणाम स्वरूप नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का सड़कों पर फैले क्षेत्रों में दुर्गम्भ तथा जनमानस को दृष्टिगत होना रोका नहीं जा सका था।
- III. नगर निगम लखनऊ की लेखापरीक्षा में डीजल के वास्तविक उपभोग को सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि 1100 मी. टन प्रतिदिन परिवहन हेतु बिना मीटर युक्त परिवहन क्षमता 1986 मी. टन वालों वाहनों का उपभोग किया गया था। इस प्रकार, आवश्यकता से अधिक डीजल के उपभोग से इन्कार नहीं किया जा सकता।
- IV. नगर निगम गाजियाबाद में परिवहन क्षमता 1132.50 मी. टन वाले वाहनों के द्वारा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट 447.50 मी. टन प्रतिदिन परिवहन किया गया। वर्ष 2004–05 के अभिलेखों से पता चला कि जहाँ परिवहन क्षमता 1132.50 मी. टन प्रतिदिन वाले वाहनों के फेरों का पूर्णतया प्रयोग डीजल उपभोग से दृष्टिगत हुआ, केवल 447.50 मी. टन नगर पालिका ठोस अपशिष्टों का परिवहन किया गया जो कि नगर निगम में उत्पन्न ठोस अपशिष्टों से बहुत कम था। इस प्रकार नगर निगम द्वारा ऐसी क्षमतायुक्त वाहनों का प्रयोग अधिकतम नहीं था तथा डीजल पर व्यय सन्देहास्पद था।

2.6.3.4 ठोस अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र

नगर पालिका नियमावली नगर पालिका प्राधिकारियों को भण्डारण सुविधा स्थापित व रख रखाव, इस रीति से करने को निर्देशित करता है कि उनमें अस्वास्थ्यकर एवं अस्वच्छ स्थितियों न बन जाये। इन्हें ऐसा रूप (डिजाइन) दिया जाना था कि भण्डारित अपशिष्ट खुले वातावरण में दृष्टिगत न रहे। फरवरी 2007 तक स्थापित द्वितीय संग्रहण केन्द्रों की स्थिति निम्नवत् थी:—

नगर निगम का नाम	डम्पर संयुक्त कूड़ेदान की संख्या		कंकरीट से बने कूड़ेदानों की संख्या		पारव घर [#] की संख्या	
	खुले	बन्द	खुले	बन्द	खुले	बन्द
लखनऊ	—	158	671	—	—	—
गोरखपुर	—	200	225	—	20	—
गाजियाबाद	—	180	60	—	2	—

नगर निगम लखनऊ, गोरखपुर एवं गाजियाबाद में क्रमशः 671, 245 व 62 द्वितीय संग्रहण केन्द्र डम्पर कूड़ेदान की कमी के कारण खुले स्थानों में थे। इस प्रकार, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के घुमन्तू जानवरों, कचरा बिनने वालों द्वारा फैलाने से दुर्गम्भ के फैलाव को रोका नहीं जा सका था तथा नगर पालिका ठोस अपशिष्टों का ऊपरी बहाव एवं बार-बार उठाई धराई से नहीं बचाया जा सका।

[#] नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के द्वितीय संग्रहण केन्द्र का स्थाई ढाँचा।

2.6.3.5 नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का शोधन

- गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नेशनल पाइलट प्रोग्राम के अन्तर्गत ऊर्जा वसूली हेतु नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के उपभोग की दृष्टिकोण से नगर निगम लखनऊ ने मेसर्स इन्कैम इंजिनियरिंग प्रा.लि. चेन्नई (इ.इ.पी.एल.) के साथ एक अनुबन्ध निष्पादित किया (फरवरी, 1997)।

अनुबन्ध के अनुसार, नगर निगम लखनऊ ने मै. इ.इ. पी.एल. के कब्जे में 05 एकड़ भूखण्ड एक रूपये प्रति वर्ग मी. की दर से 30 वर्षों हेतु पट्टा किराया पर आन्तरित दिया गया। लखनऊ नगर निगम को आद्रता तत्व निर्धारित गुणों, कार्बनिक एवं अर्काबनिक ठोस युक्त 300 मी. टन तय नगर पालिका अपशिष्ट की आपूर्ति करना था। मै. इ.इ.पी.एल. को कुल उत्पादित कार्बनिक अपशिष्ट के 5 प्रतिशत की दर से सार्वजनिक स्थानों के पर्यावरणीय उन्नयन के लिए नगर निगम के स्वयं के प्रयोग हेतु कार्बनिक अपशिष्टों को दिया जाना था। उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद को विक्रीत ऊर्जा के कुल उत्पाद के विक्रय मूल्य (इ.इ.पी.एल. के संयन्त्र उपभोग के उपरान्त) का एक प्रतिशत भी कम्पनी को देना था। उसी समय मै. इ.इ.पी.एल. ने सूचित किया (नवम्बर 1997) कि वह संयन्त्र को चलाने हेतु एशिया बायोएनर्जी (इण्डिया) लि. (ए.बी.आई.एल.) के नाम से एक नयी कम्पनी गठित किए हैं। नगर निगम, लखनऊ एवं ए.बी.आई.एल. के मध्य उसी उपबन्ध एवं शर्तों पर अप्रैल, 2001 में एक अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया जैसा कि नगर निगम लखनऊ एवं इ.इ.पी.एल. से तय था।

मै. ए.बी.आई.एल. ने प्रोमोटर्स, वित्तीय संस्थाओं से ऋण एवं एम.एन.इ.एस. से आर्थिक सहायता को निवेश करते हुए 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन एवं खाद का एक प्लान्ट सम्मिलित करते हुए नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्लान्ट (रु 76 करोड़) (जून 2003) स्थापित किया। अग्रेतर मै. ए.बी.आई.एल ने तयशुदा नगर पालिका अपशिष्ट के अभाव में प्लान्ट बन्द कर दिया (दिसम्बर, 2004) एवं नगर निगम लखनऊ को हर्जाने का दावा करते हुए कानूनी नोटिस भिजवाया। प्लान्ट के बन्द होने के कारण हवा, पानी इत्यादि के प्रदूषण को कम करने के किसी पर्याप्त सावधानी के बिना प्लान्ट के किनारे ही खुले स्थान में अशोधित नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का ढेर लगाया गया (फरवरी 2007)।

अवधि जून 2003 से दिसम्बर 2004 के दौरान ऊर्जा की बिक्री से देय राजस्व का दावा नगर निगम लखनऊ द्वारा न तो किया गया और न ही ए.बी.आई.एल. से कोई कार्बनिक अपशिष्टों को प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त अवधि मार्च 1997 से दिसम्बर 2004 हेतु

रु0 1,56,899/- पट्टा किराया भी नहीं प्राप्त किया गया। इस प्रकार नगर निगम लखनऊ द्वारा तयशुदा नगर पालिका अवशिष्ट कम्पनी को उपलब्ध कराने में विफलता के चलते अशोधित नगर पालिका अवशिष्ट खुले स्थान में ढेर लगाए गए जिससे हवा एवं पानी प्रदूषित हुआ। इसके अलावा उर्जा एवं बायोफर्टिलाइजर के लाभ से वंचित रहे।

2. नगर निगम गोरखपुर एवं गाजियाबाद द्वारा नगर पालिका अपशिष्टों का निस्तारण सङ्क के किनारे एवं निचले क्षेत्रों पर बिना किसी शोधन के किया गया, जिससे पर्यावरणीय खतरे उत्पन्न हुए। नगर निगम गोरखपुर ने नगर पालिका अपशिष्ट को कार्बनिक गोबरखाद में परिवर्तित, खाद एवं अवांछित बेकार तत्वों से कचरा व अन्य उत्पाद पुनःचक्रित करने हेतु फर्म की अपनी पूँजी विनिवेश पर स्वनिर्मित व चलाने के आधार पर एक अनुबन्ध किया (जुलाई 2005)। किन्तु उ.प्र. विद्युत परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा गोरखपुर विकास प्राधिकरण से भूखण्ड के अभाव में इसे मूर्तरूप नहीं दिया जा सका (फरवरी 2007)। नगर निगम गाजियाबाद द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं किया गया था (फरवरी 2007)।

2.6.3.6 मौजूदा भूमिभरण स्थलों का सुधार न किया जाना

मौजूदा भूमिभरण स्थलों का विकास नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियमावली के अनुसूची प्रथम के अधीन विहित विशिष्टयों के अनुरूप 31 दिसम्बर 2001 तक किया जाना था। नमूना जॉच की गयी नगर निगमों में कोई भूमिभरण स्थल नहीं था। अपृथक्करण किए व आशोधित नगर पालिका अपशिष्ट को सङ्ककों के किनारे एवं निचले क्षेत्रों में निवासिता के समीप दबाये तथा अन्तर्विष्ट सामग्री के साथ आच्छादित किए बिना इसे ढेर लगाया गया। इससे भू जल का रोगाण्युक्त तथा पर्यावरणीय प्रदूषण से इन्कार नहीं किया जा सकता।

2.6.3.7 भविष्य में उपयोग हेतु भूमिभरण स्थलों को चिन्हित किया जाना

1. न.प.अप. नियमावली 2000 की अनुसूची-I में लागू की जाने वाली अनुसूची के अनुसार भविष्य में उपयोग हेतु भूमिभरण स्थलों तथा कार्यान्वयन हेतु स्थलों की तैयारी को दिनांक 31.12.2002 तक चिन्हित किया जाना था। अग्रेतर, उ.प्र. सरकार ने 17 जनवरी 2005 को एक कार्यान्वयन अनुसूची निर्मित किया। तदनुसार नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियमावली 2002 की अनुसूची-III में विहित प्रक्रिया के अनुसार भूमिभरण स्थलों को 20 फरवरी 2005 तक चिन्हित तथा इन्हें 20 अगस्त 2005 तक विकसित किया जाना था। पर्यावरणीय मामलों के परीक्षण पर आधारित सम्बन्धित नगर निगमों के द्वारा इनके विकास संचालन एवं रख रखाव को कार्यान्वित करने वाले 20–25 वर्षों तक चलने वाले पर्याप्त वृहत्त भूमिभरण स्थलों को चिन्हित करने हेतु

- विकासप्राधिकरण जिम्मेदार था। विकास प्राधिकरण लखनऊ, गोरखपुर तथा गाजियाबाद द्वारा सम्बन्धित नगर निगमों के स्थलों को हस्तांतरित नहीं किये गये था (फरवरी 2007)।
2. नगर निगम या नगर निगम की ओर से सुविधा संचालक को भूमिभरण सहित अपशिष्टों को प्रसंस्करण व निस्तारण सुविधा स्थापित करने हेतु उ.प्र. विद्युत परिषद बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अपेक्षित रहा। गाजियाबाद को छोड़कर किसी भी नगर निगम ने नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियमावली के विभिन्न मानकों का अनुपालन पूरा न करने के कारण उ.प्र. विद्युत परिषद बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र फरवरी, 2007 तक प्राप्त नहीं किया था।
- नगर निगमों में भूमि भरण हेतु प्रत्येक 10,000 जनसंख्या के लिए एक एकड़ भूखण्ड की आवश्यकता 10वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया। नगर निगम गाजियाबाद ने 20 वर्षों हेतु 96.29 एकड़ के विरुद्ध 47 एकड़ भूमि चिपियाना ग्राम से लगे हुए डुण्डाहेड़ा गाँव में चिन्हित किया। 400 मी. टन. न.पं. ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन क्रियान्वयन व निस्तारित करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्थलों को विकसित किया जाना था। हालांकि, 47 एकड़ भूमि में से 33 एकड़ भूमि जिला गौतमबुद्ध नगर अधिकार क्षेत्र में स्थित, का स्वामित्व नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं किया गया था (फरवरी 2007)। केवल 14 एकड़ भूमि उपलब्ध होते हुए स्वामित्व के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा 47 एकड़ भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में उ.प्र. विद्युत परिषद बोर्ड को त्रुटिपूर्ण सूचना दिया गया था। फलस्वरूप उ.प्र. विद्युत परिषद बोर्ड ने नगर निगम के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण निर्गत किया (अगस्त 2004)। इस प्रकार नगर निगम द्वारा प्राप्त किया गया अनापत्ति प्रमाण अनियमित व गैर कानूनी था। इसके अलावा, चहारदीवारी के निर्माण को छोड़कर स्थल पर कोई विकास कार्य नहीं किया गया (फरवरी 2007)।
3. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने नगर निगम गाजियाबाद में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु रु 13.52 करोड़ लागत की एक परियोजना अनुमोदित किया (सितम्बर 2005) तथा उ.प्र. सरकार को रु 12.76 करोड़ अवमुक्त किया (सितम्बर 2005 एवं जुलाई 2006)। राज्य सरकार ने कार्यदायी संस्था निर्माण एवं डिजाइन सेवाएँ, उ.प्र. जल निगम, गौतमबुद्ध नगर को रु 9.26 करोड़ हस्तान्तरित किया (दिसम्बर, 2005 से सितम्बर 2006)। खराब नियोजन व भूमिभरण स्थलों की उपलब्धता न होने के कारण योजना फरवरी 2007 तक कार्यान्वित नहीं हुई थी।

2.6.3.8 कारकस प्लान्ट पर परिहार्य व्यय

भारत सरकार ने गाजियाबाद में प्राथमिकता के आधार पर अनुमानित लागत रु 2.70 करोड़ जिसमें भारत सरकार का अंश (रु 2.16 करोड़) तथा उ.प्र. सरकार/नगर निगम का अंश (रु 0.54 करोड़) आधुनिक

कारकास उत्पाद केन्द्र बनाने हेतु अनुमोदित किया (मार्च 1995)। भारत सरकार ने अपना अंश मार्च 1995 से मार्च 1998 के मध्य अवमुक्त किया। नगर निगम गाजियाबाद ने प्लान्ट की आवस्थापना हेतु 1996 में निविदाएँ आमंत्रित किया तथ निविदाएँ दिसम्बर 1996 तक प्राप्त हुई जो कि शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को दिसम्बर 1997 में स्वीकृति हेतु भेजी गयी। विभाग द्वारा गठित समिति ने मै. फूड प्रोसेसिंग इक्यूपमेन्ट कम्पनी (ठेकेदार) द्वारा उद्धरित रु 1.67 करोड़ की निम्नतम् निविदा मई 1998 में स्वीकार किया गया और नगर निगम को निर्देशित किया कि निविदा स्वीकृति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अनुबन्ध निष्पादित करें। प्लांट के परिचालन (कमिशिंग) हेतु बिना किसी दण्डात्मक उपबन्ध के सितम्बर 1998 में अनुबन्ध निष्पादित किया गया। फर्म द्वारा प्लांट एवं मशीनरी देश के बाहर से आयात करने में विलम्ब (दिसम्बर 1999) के कारण, नगर निगम को उत्पाद शुल्क की अभिवृद्धि की वजह से रु 15. 16 लाख अतिरिक्त उत्पादन शुल्क का भुगतान करना पड़ा। प्लांट की स्थापना व परिचालन रु 2.38 करोड़ की लागत पर विनिर्दिष्ट तिथि (मई 1999) के एक वर्ष विलम्ब के उपरान्त मई 2000 में किया गया। अनुबन्ध में कोई दण्डात्मक उपबन्ध न होने के कारण नगर निगम द्वारा रु 15.16 लाख अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भुगतान के बावजूद फर्म पर कोई दण्ड नहीं लगाया जा सका।

2.6.3.9. गैर कानूनी बध गृहों का संचालन

नियमों में मौजूदा वधगृहों के आधुनिकीकरण पर बल भी दिया गया था। नगर निगम गाजियाबाद में गैर कानूनी वधगृहों का संचालन खुले स्थानों पर हो रहा था। खुले में वध गृह पर्यावरणीय प्रदूषण के अलावा समस्त वायु सेवा स्टेशन हेतु खतरनाक थे। नगर निगम में मौजूदा वध गृहों को आधुनिकीकरण हेतु कोई कार्यवाही फरवरी 2007 तक नहीं की गयी। यद्यपि कि भारत सरकार ने गाजियाबाद में आधुनिक वध गृह के स्थापना हेतु प्राथमिकता के आधार पर रु. 8.96 करोड़ धनराशि की एक परियोजना स्वीकृत किया (जुलाई 1998) जो भारत सरकार एवं उ.प्र. सरकार/नगर निगम के 50:50 के अनुपात में स्थापित थी जिसे नगर निगम बोर्ड द्वारा योजना की स्वीकृति न होने के कारण अभी भी स्थापित किया जाना था। नगर निगम द्वारा मौजूदा वध गृह को घनी आबादी वाले क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा था तथा मूलभूत सुविधाएँ जैसे कि विद्युत, कचरा निस्तारण का अभाव था तथा सभी प्रकार की स्वास्थ्यकर स्थितियाँ, निर्धारित सुरक्षा/स्वास्थ्य नियमों का अनुरक्षण नहीं कर रही थीं।

2.6.4 जैव चिकित्सा अपशिष्ट

2.6.4.1 जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण

- विषेले कार्बनिक एवं पैथोलॉजी अपशिष्ट, सुइयॉ व अन्य तेज उपकरण, निष्प्रयोज्य औषधियॉ तथा परीक्षण, उपचार, मानव जीवन व पशुओं के टीकाकरण अथवा अनुसंधान की गतिविधियॉ में औषधि निर्माण या परीक्षण के दौरान उत्पन्न साइटोटाक्सिस ड्रग्स जैव चिकित्सा उत्पाद में सम्मिलित है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली संस्थाओं में औषधालयों, नर्सिंग होम, पशु चिकित्सालीय पशुगृहों, औषधि प्रयोगशालाएँ इत्यादि सम्मिलित है। उ.प्र. विद्युत परिषद बोर्ड से जून 2005 व मार्च 2007 में संग्रहीत सूचनाओं के अनुसार राज्य के 211 शहरी स्थानीय निकायों# में उत्पादित समग्र जैव चिकित्सा उत्पाद एवं उसके निस्तारण निम्नवत् थे:-

वर्ष	औषधालयों/नर्सिंग होम की संख्या	प्रतिदिन उत्पादित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (भी. टन में)	प्रतिदिन शोधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (भी. टन)	आशोधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रतिदिन (भी. टन में)	अशोधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रतिशत में)
2004–05	3045	32	7	25	78.13
2005–06	3320	33.76	8.9	24.86	73.64

अशोधित जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट की नगर पालिका अपशिष्ट के साथ बिना सही तरीके के मिला रहे थे। अपर्याप्त रख रखाव, गलत तरीके से इकट्ठा करना और जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट का सही तरीके से न रखने के कारण व्यक्तिगत स्वास्थ्य, अपशिष्ट उठाने वाले कर्मचारी, संस्थाओं को स्वास्थ्य का खतरा और पर्यावर्णीय वातावरण के लिए भी बहुत खतरा है।

- नगर निगम लखनऊ ने जैवचिकित्सा अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु 75 कि.ग्रा./ प्रतिघंटा क्षमतायुक्त रु 24.36 लाख कीमत का एक मापीकरण प्लांट स्थापित किया (नवम्बर 2000)। प्लान्ट द्वारा 50 कि.ग्रा./प्रति घंटा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जा रहा था कि जुलाई 2003 में उसका एक बर्नर बेकार था जिसे काफी विलम्ब के पश्चात मार्च 2005 में मरम्मत किया गया। नगर निगम लखनऊ के 394 में से 334 औषधालयों/नर्सिंगहोम वाष्पीकरण प्लांट में पंजीकृत थे। नगर निगम लखनऊ द्वारा रु 25.92 लाख 266 औषधालयों/नर्सिंग होम से निरीक्षण प्रीमियम के अब भी वसूले जाने थे (फरवरी 2007)।

एक लाख व इससे अधिक आबादी वाली शहरी स्थानीय निकाएँ।

- 30 औषधालय/नर्सिंगहोम अपने जैव चिकित्सा उत्पाद प्रसंस्करण हेतु नगर निगम को उपलब्ध नहीं करा रहे थे जिसे घरेलू अपशिष्टों के साथ मिश्रित करके निस्तारित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा स्थापित वाष्पीकरण प्लांट बिना स्कबर (प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण) के जून 2006 को चलाया जा रहा था। जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा हो रहा था। हालांकि इसे जुलाई 2006 में स्थापित किया गया था।
3. गोरखपुर में 308 औषधालय/नर्सिंग होम 1500 कि.ग्रा. प्रतिदिन अपशिष्ट उत्पन्न कर रहे थे। शहर में जैवचिकित्सकीय अपशिष्ट के शोधन हेतु कोई वाष्पीकरण/कारगर सामान्य निस्तारण सुविधा नहीं थी। ये खतरनाक अपशिष्ट वैज्ञानिक तरीके से शोधन के बिना नगर पालिका अपशिष्टों के साथ मिश्रित एवं निस्तारण किए जाते थे जिससे स्वारश्य समस्याओं व पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा हो रहा था। हालांकि नगर निगम ने एक फर्म के साथ एक वाष्पीकरण संयंत्र स्थापित करने का एक अनुबन्ध किया (मई 2005) किन्तु फरवरी, 2007 तक प्रगति नहीं हो सकी। नगर निगम गाजियाबाद के पास स्वयं का कोई वाष्पीकरण संयंत्र नहीं था। हालांकि प्राइवेट पार्टियों द्वारा दो वाष्पीकरण स्थापित किए गए थे जिनसे 142 में से 101 औषधालयों/नर्सिंगहोम द्वारा उत्पादित जैवचिकित्सकीय अपशिष्ट शोधित किए जा रहे थे।

उ.प्र.वि.प.नि. से संग्रहीत (फरवरी 2007) सूचना के अनुसार प्रदेश में 211[#] शहरी स्थानीय निकायों में 3320 में से 1253 औषधालयों/नर्सिंग होम के पास न तो स्वयं की कोई शोधन सुविधा थी और न ही सामान्य सहभेषण अपशिष्ट शोधन सुविधा के सदस्य थे। इन औषधालयों/नर्सिंग होम द्वारा उत्पादित सहभेषण अपशिष्ट बिना शोधन के निस्तारित किए जा रहे थे।

2.7 संस्थागत सुदृढ़ीकरण

प्रभावी स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पर्यावरणीय/सार्वजनिक स्वारश्य इंजीनियरों की नियुक्ति अपेक्षित थी। नगर निगम में प्रत्यक्ष या तो सीधे चयन था, प्रति नियुक्ति के द्वारा प्राथमिक आधार पर पर्यावरणीय इंजीनियर पद को सृजित करने की सहमति उ.प्र. सरकार ने दिया (जनवरी 2005) किन्तु नमूना जॉच की गयी नगर निगमों में फरवरी 2007 तक कोई पर्यावरणीय इंजीनियर की नियुक्ति नहीं हुई थी।

[#] एक लाख एवं इससे अधिक आबादी वाली शहरी स्थानीय निकाय।

2.8 सूचना प्रबन्धन प्रणाली

नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन विभाग को स्वच्छता व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बद्ध तात्कालिक स्थितियों के सम्यक विचार के लिए कठिपय प्रासंगिक सूचनाओं को संग्रहीत करना होता है जिससे भविष्य हेतु सुधारात्मक तौर तरीके, उचित परियोजना व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवा में संलग्न प्रत्येक लोगों के निष्पादन का आकलन होता रहे। ऐसी सूचनाओं का कम्प्यूटरीकरण नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु दैनिक अनुश्रवण करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार सूचना प्रबन्धन प्रणाली प्रभावी प्रबन्धन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि, नमूना जॉच किए गए किसी भी नगर निगम में सूचना प्रबन्धन प्रणाली कार्यरत नहीं थी।

2.9 अनुश्रवण

नगर निगम, नगर पालिका अपशिष्ट नियमावली के उपबन्धों में सम्मिलित विभिन्न निर्दिष्ट मानकों के अनुपालन हेतु अपेक्षित संरचना विकास को लागू करने हेतु उत्तरदायी थे। प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम में नियमावली के प्रावधानों को लागू करने हेतु उ.प्र. सरकार को अनुश्रवण किया जाना था। उ.प्र. सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशों/आदेशों के अतिरिक्त कोई प्रभावी एवं दक्ष अनुश्रवण नहीं किया गया। इस प्रकार, खराब सेवायें निष्पादित की गयी तथा नमूना जॉच की गयी नगर निगमों द्वारा अपेक्षित स्तर तक नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियमावली को अभी तक लागू नहीं किया। जिसके कारण स्वारक्ष्य स्वच्छता व पर्यावरणीय क्षरण हुआ। पुनर्श्च, इसके क्रियान्वयन हेतु निर्गत निर्देशों/आदेशों का अनुपालन न किए जाने के मामलों में जिम्मेदारी नियत करने हेतु कोई प्रावधान नहीं थे।

2.10 संस्कृतियाँ

नगर निगम को चाहिए:-

- नियमित सफाई हेतु सफाई कर्मियों का नियोजन मानकों/आवश्यकताओं के अनुरूप करें।
- प्रभावी एवं दक्ष स्वच्छता हेतु सफाई कर्मियों पर यथोचित नियन्त्रण विकसित करें।
- दैनिक अपशिष्ट के प्राथमिक संग्रहण व निस्तारण के लिए सम्यक् प्रणाली विकसित करें।
- नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को स्रोत पर ही जैव नष्टीकरण, पुनःचक्रण योग्य, खतरनाक अपशिष्ट इत्यादि के साथ-साथ दूसरे दर्जे के संग्रहण केन्द्रों पर पृथक्करण सुनिश्चित करने हेतु रंग-बिरंगे कूड़ेदानों को उपलब्ध करायें।
- खुले भण्डारण को ढके भण्डारण में पहुंचाए।

- खुले भण्डारणों को अपशिष्ट के परिवहन हेतु वाहनों के फेरों का अधिकतम उपभोग करें।
- विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमिभरण स्थलों का विकास सुनिश्चित करें।
- नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियमों के अनुसार शोधन के उपरान्त ही नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का निस्तारण करें।
- संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु पर्याप्त तौर तरीके अपनायें।
- सख्त अनुश्रवण हेतु सूचना प्रबन्धन प्रणाली को लागू करें।

2.11 सरकार की प्रतिक्रिया

उपर्युक्त बिन्दुओं को उ.प्र. सरकार को जनवरी 2006 में सन्दर्भित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2007)।